

jftLV^h laö Mhö ,yö&33004@99

REGD. NO. D. L.-

33004/99

la- 510]

ubZ fnYyh] lkseokj] vxLr 17] 2015@Jko.k 26]

1937 No. 510]

NEW DELHI, MONDAY, AUGUST 17, 2015/ SHARAVANA 26 ,

1937

वि॒व॒क॒मं॒ल॒य

(2013 का 23) क" धारा 51 क" उपधारा (1) और उपधारा (2) के खंड (i) के साथ पठित धारा 46 क" उपधारा (2) द्वारा दिये गये का योग करते हैं निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :-

635(अ)-कीय सरकार, पञ्च निधि विनियामक और विकास अधिकरण अधिनियम, 2013 नई दिल्ली, 17 अगस्त, 2015 (द्वितीय सेवाएं विभाग)

नाम और आरंभ-(1) इन नियमों का संज्ञा: नाम पञ्च निधि विनियामक और विकास अधिकरण (रिपोर्ट, रटन और विवरणी) नियम, 2015 है।

(2) ये उनके राजपत्र प्रकाशन के तारीख को प्रवृत्त होंगे।

परभाषाएं—(1) इन नियमों में जब तक कि संदर्भ से अर्थ यथा अपेक्षित न हो,--

(क) "अधिनियम" से पञ्च निधि विनियामक और विकास अधिकरण अधिनियम, 2013 अभिमत है ;

(ख) "परिशिष्ट" से इन नियमों से उपाखण्ड परिशिष्ट अभिमत है ;

(ग) "वाष्क, रिपोर्ट" से अधिकरण द्वारा नियम 9 के अधीन तैयार की गई रिपोर्ट अभिमत है ;

(घ) "विनियम तीस अभिकरण" या "विनियम तीस अभिकरण" से भारतीय, रजवर्ष बंधक अधिनियम, 1934 (1934 का 2) क" धारा 3 के अधीन स्थापित भारतीय, रजवर्ष बंधक, भारतीय तिभूति और विनियम बोर्ड अधिनियम, 1992 (1992 का 15) क" धारा 3 के अधीन स्थापित भारतीय तिभूति और विनियम बोर्ड तथा बीमा विनियामक और विकास अधिकरण अधिनियम, 1999 (1999 का 41) क" धारा 3 के अधीन स्थापित बीमा विनियामक और विकास अधिकरण अभिमत है ;

3516 GI/2015

(1)

(ङ) "वित्त वर्ष" से नये वर्ष 1 अप्रैल से आरंभ होने वाली उन तरवार वर्ष के 31 मार्च तक क" अवधि अभिमत है ;

(च) "अर्थ अभिकरण" से राष्‍ट्रीय और अंतराष्‍ट्रीय अभिकरण, जैसे अंतराष्‍ट्रीय मुद्रा निधि (आईएमएफ) विवर्ष बंधक, एशियाई विकास बंधक (एडीबी), और उद्योग संगम जैसे फेडरेशन ऑफ इंडियन चैंबर ऑफ कामर्स एंड इंडस्ट्री (एफआईसीसीआई), एसोसिएटेड चैंबर ऑफ कामर्स ऑफ इंडिया (एसोचैम), केंद्र फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज (सीआईआई) आदि अभिमत हैं ; और

(छ) "धारा" से अधिनियम क" धारा अभिमत है।

(2) वे सभी शब्द और पद, जो इन नियमों में इतिहास कए गए हैं, कतु परभाषित नहीं हैं और अधिनियम में परभाषित हैं, का अर्थ: वह अर्थ होगा जो उनका अधिनियम में है।

तथा कया जाना—अधिकरण कीय सरकार को परिशिष्ट 1 में विनियमित विषयों पर त्रैमासिक, रटन और विवरणियां त्रुत करेगा।

य अभिकरण और अर्थ अभिकरण के साथ समर्थ व

आवश्यक समझे, विनियम तीस अभिकरण और अर्थ अभिकरण के साथ समर्थ व करेगा, जिसके अंतर्गत ऐसे अभिकरण के साथ वृत्त था आय तिभूति का संबंध करने के योजन के लिए ऐसे अभिकरण के साथ समझौता स्थापन में विवर्ष होना और पञ्च निधियों के अंशदाता के हित का संरक्षण करना, पञ्च उद्योग का संबंध और विकास और इस अधिनियम के उपबंधों को पूरा करना है।

(2) उपनियम (1) में विनियमित समझौता स्थापन निम्नलिखित सभी या केंद्र विषयों के लिए

उपबंध कर सकेगा, अथाःतः:-

(क) ऐसे ही विषय के शासन को विनियमित करने में सामंजस्य के लिए विनियमन तीय अभिकरण और अधीन विषय के साथ सहयोग और समन्वय करने के लिए अधिनियम के अधीन उक्त अभिकरण को शासित करने वाली विधायक पद्धति ;

(ख) ऐसे ही विषय पर और विशेषताएं पश्चात् उद्देश्य के संवर्धन और विकास के लिए विनियमन तीय अभिकरण और अधीन विषय के साथ सूचना बांटना ;

(ग) अधिकरण के कमर्चा, रय और विनियमन तीय अभिकरण या अधीन विषय के लिए विनियमन और शिक्षण कार्यःमः

परंतु अंतराष्ट्रीय तीय अभिकरण के साथ कोई समझौता स्थापन करीय सरकार के पूर्वानुमोदन से किया जाएगा । (3) अधिकरण नयेक वर्ष उसके द्वारा विनियमन तीय अभिकरण और अधीन विषय के साथ उपनियम (1) मिनट्टट योजना के लिए हाथ में लिए गए कार्यःम और कार्यकलाप पर एक ,रपोर्ट तैयार कर" जाएगी ।

(4) उपनियम (3) के अधीन अधिकरण द्वारा तैयार कर" गई ,रपोर्ट वांछक ,रपोर्ट का भाग होगी ।

5. सूचना का काशन और अभिलेख का अनुरण—(1) अधिकरण एक वेबसाइट का अनुरण करेगी या अधीन सावधभौमिक िप से पञ्चनीय इलैह टािनिक" सूचना िनःपागार, िजसम िनःनिलिखत अंतर्गट हउगे, रखेगी—

(क) सभी िनियम, विनियम, आदेश के अथैरे, िजसके अंतर्गत उनके संशोधन हउ ;

(ख) उस ाया और रीति क" सूचना, िजसम इस अधिनियम के अधीन आवेदन कए जाने हउ ;

और (ग) अधिकरण के कृण यों के विषय में तािनिक सूचना ।

(2) उपनियम (1) के अधीन काशित सभी सूचना सरलता से पञ्चनीय और ढूंढे जा सकने वाले िप में होगी ।

¹Hkkx IIµ[k.M 3(i)^o

Hkkjr dk jkti=k % vlk/kj.k

3

(3) अधिकरण िनियमित अंतराल पर अपनी वेबसाइट को अद्यतन करेगा और कम से कम एक बार नयेक वर्ष वेबसाइट क" ह वालिटी और उपनियम (1) के अधीन विनियमन ट सूचना का पुनर्वलोकन सवकन तम अंतराष्ट्रीय तीय पातिय को । यान में रखते हए करेगा ।

(4) अधिकरण उपनियम (3) के अधीन उसके द्वारा कएए पुनर्वलोकन में पता लगाए गए तम य पर एक ,रपोर्ट तैयार करेगा और ऐसे पुनर्वलोकन पर ,रपोर्ट वांछक ,रपोर्ट का भाग होगी ।

य पर रपोर्ट—(1) अधिकरण अधिनियम के अधीन अपने कतःन य और कृण य को पूरा

करने के योजन के लिए अपने संसाधन के आबंटन क" एक पारदर्शगाली का अनुरण करेगा ।

(2) अधिकरण अधिनियम के अधीन वर्ष के दौरान अपने कतःन य और कृण य क" बाबत उसके द्वारा उपगत न य पर एक ,रपोर्ट तैयार करेगा ।

(3) अधिकरण नयेक दो वर्ष में कम से कम एक बार अपने संसाधन का पुनर्वलोकन करेगा और ऐसे पुनर्वलोकन के प,रणाम क" करीय सरकार को ,रपोर्ट करेगा ।

(4) उपनियम (2) में िनियमन ट ,रपोर्ट वांछक ,रपोर्ट का एक भाग होगी ।

कन गाली—(1) अधिकरण अधिनियम के अधीन अपने कतःन य और कृण यों के संबंध में

हासिल कए जाने वाले लो य को अवधारत करेगा और ऐसे उपेय य को हासिल करने में अपनी दःता को मापने और मूयांकन करने के लिए एक गाली िवकसित करेगा ।

(2) ाधिकरण N येक िवN त वष8 के िलए उपिनयम (1) के अधीन कए गए मू यांकन के आधार पर अपने काय8 िनH पादन क" एक ,रपोट8 तैयार करेगा ।

(3) उपिनयम (2) म िनदH ट ,रपोट8 वाषक ,रपोट8 का एक भाग होगी ।

त करना—(1) िनयम 3, िनयम 4, िनयम 5, िनयम 6 या िनयम 7 पर ितकूल भाव डाले िबना ाधिकरण िनZ निलिखत िवषय3 पर या तो वेरणा से या िनZ निलिखत िवषय3 क" बाबत उसके 0ारा ग,ठत सिमित क" ,रपोट8 के आधार पर, यद कोई ह3, एक ,रपोट8 बनाएगी, अथा8त् :--

(क) इस अधिनयम या ताीन बनाए गए कसी िनयम या िविनयम के अधीन उ लंघन का N येक मामला ;

(ख) वह प,रमाण, िजस तक ाधिकरण के िविनW चय3 क" अनुपालना क" गई है ;

(ग) वह प,रमाण और रीित, िजसम ाधिकरण ने अपने कृN य3 का िनव8हन करते 5ए िविभD न जोखिम3 से िनपटा ;

(घ) ाधिकरण के संसाधन3 क" कसी n यिह त 0ारा चोरी या दुn य8पदेशन ;

(ङ) ाधिकरण क" शिह तय3 का उसके आ य:, सद य3 या उसके कसी अधिकारी, कम8चारी या अभकता8g 0ारा दुपयोग ;

(च) अभकरण के कसी िविनW चय का उसके कसी अधिकारी, कम8चारी या अभकता8 0ारा उ लंघन ;

(छ) पशन उXोग के संवध8न और िवकास के िलए कसी तावित या िवXमान काय8करण के संबंध म ऐसे अD य अधिकरण, िववरण या िविशिH टयां, जैसा क कीय सरकार समय-समय पर अपेा करे ।

(2) ाधिकरण उपिनयम (1) म िविनदH ट िवषय3 पर N येक िवN त वष8 म कम से कम एक ,रपोट8 बनाएगी और ऐसी ,रपोट8 वाषक ,रपोट8 का एक भाग होगी ।

त करना—(1) ाधिकरण N येक िवN त वष8 क" समास त के पW चात् नौ मास के भीतर कीय सरकार को उसके काय8कलाप3 का सN य और पूण8 लेखा-जोखा देते 5ए, िजसके अंतग8त प,रिशH ट 2 म

िविनदH ट िप म पूव8वतर िवN तीय वष8 के दौरान अधिनयम के अधीन िविनयिमत पशन िनिधय3 के संवध8न और िवकास के िलए काय8कलाप हO, एक ,रपोट8 (इसे इसम इसके पW चात् "वाषक ,रपोट8" कहा गया है) तुत करेगी । (2) उपिनयम (1) म िनदH ट ,रपोट8 म िनZ निलिखत शािमल हो सकगे, अथा8त् :--

(क) लेखा परीा ,रपोट8 और माणित लेखाg सहित उन पर ाधिकरण के संेण ;

(ख) ाधिकरण क" बैठक3 के अभलेख3 सहित उसके िवचार-िवमश8 का कथन ;

(ग) िनगम और चालन उपेW य3 और ियय3 का कथन ;

(घ) िविभD न काय8कलाप3 के िलए रखे गए भौतिक और िवN तीय अथ8 म वाषक लo य3 के साथ उन लo य3 के संदभ8 म वा तिवक काय8 िनH पादन का संिस त पुनःवलोकन ;

(ङ) ाधिकरण के काय8कलाप3 और काय8 िनH पादन के संबंध म आ य: का कथन ;

(च) पूव8वतर वष8 केदौरान म ाधिकरण के काय8कलाप3, िजनको चालू वष8 के दौरान हाथ म लेने क" आशा है, का लेखा-जोखा ;

(छ) कोई कथन, िजसे ाधिकरण का कोई सद य शािमल करने क" वांछा कर ;

(ज) ाधिकरण के संगठन ढांचे म प,रवत8न ;

(झ) िनयोह ता – कम8चारी संबंध और उनसेसंबंधित क याणकारी काय8कलाप ;

(ज) कसी कानूनी बा। यता को उपदृष्ट करणे वाला कथन, जिसका अधिकरण ने अनुपालन नहं कया है और ऐसे अननुपालन के कारण ;

(ट) कोई अड य विषय, जो अधिकरण कीय सरकार को ,रपोट करने के लिए उचित समझे ।

(3) वाज्जक ,रपोट पर अधिकरण क" बैठक म सऽ यक िप से अंगीकार करने के पऽ चात् अधिकरण के N येक सद य 0ारा ह ताः र कए जाएंगे और अधिकरण क" सामाड य मुा को च पा करके अधिमाणित कया जाएगा और उसक" अपेःत संु या म ितयां कीय सरकार को उपिनयम (1) के अधीन िविनदह ट समय के भीतर तुत क" जाएंगी ।

परिशद ट 1

(िनयम 3 देख8)

ैमासिक रटन, िववरणयां और अ% य िविशिद ट

1.धारा 15 के अधीन अधिकरण 0ारा जारी िनदेश ।

2.धारा 16 के अधीन अधिकरण 0ारा आदेश क" गई जांच ।

3.अंशदाताg से ाs त प,रवाद3 क" संु या और िजनका िनपटान कया गया ।

4.धारा 28 के अधीन अधिरोपित शाि तयां ।

5.कोई अड य महN वपूण8 :े>, जो अधिनयम के अधीन अंशदाताg को ितकूल िप से भावित कर रहा है ।

6.अधिनयम के अधीन राH Tीय पशन णाली और कवर होने वाली अन् य पशन क"म3 के ^ यौरे, जिसके अंतग8त उनके साथ सहबा मा यवतर और अड य िनकाय ह0 तथा ऐसी णालिय3 और क"म3 का काय8करण।

7.मा यवजतय3 0ारा तावित सेवा के लिए राH Tीय पशन णाली के अधीन अंशदाताg 0ारा संदN त लागत और फ"स के ^ यौरे ।

¹Hkkx Πμ[k.M 3(i)°

Hkkjr dk jkti=k % vlk/kj.k

5

परिशद ट 2

देख8 िनयम 9(1)]

वाज्जक रपोट का =प

भाग 1

नीतियां और काय(म :

(क)साधारण आऽथक पया8वरण और िवN तीय बाजार3 के काय8करण का पुनऽवलोकन ।

(ख)उन नीतिय3 और काय8ाम3 का पुनऽवलोकन, जो अधिनयम के अधीन राH Tीय पशन णाली तथा कवर क" गई अड य पशन क"म3 के काय8करण पर िनऽ

निलिखत के संबंध म भाव डालते ह0 –

(i) भारत और अड य देश3 म पशन :े> का काय8 िनH पादन ;

(ii) राH Tीय पशन णाली और अधिनयम के अधीन कवर क" गई अड य पशन क"म3 से सहबा मा यवतर और अड य िनकाय ;

(iii) अड य नीतियां और काय8ाम, जो अधिनयम के अधीन राH Tीय पशन णाली तथा कवर क" गई अड य पशन क"म3 के काय8करण पर भाव डालते ह0 ;

(iv) पशन :े> म अड य संबंधित :े>3 का िनधा8रण और संभावनाएं ।

भाग 2

राH Tीय पशन णाली और अधिनयम के अधीन कवर क" गई अड य पशन क"म3 का िविनधान3 के

विभिन्न न वगैरे में विचार और अनावृत्ति तथा, जिसके अंतर्गत सरकारी विधित्तियां, ऋण विधित्तियां और साज या हो ।

भाग 3

धारा 14 में विनियमित मामलों के संबंध में अधिकारण के कृत्तय में निम्नलिखित शामिल हैं—

क. मा. यवजतय के रिज टीकरण और निरालंबन, रूकरण आदि और ऐसे रिज टीकरण के संबंध में यौरे ; और रा. टीय पशन णाली या पशन क"म से सहभा मा. यवजतय के कायकलाप का विनियमन ; ख. क"म के अनुमोदन के यौरे, उनके निबंधन और शत, जिसके अंतर्गत पशन निधय के कारपस के बंधन के लिए मानक तथा ऐसी क"म के अधीन विनियान के लिए मागदशक सिंतांत हो ;

ग. रा. टीय पशन णाली से अंशदाता का निकलना, जिसके अंतर्गत निम्नलिखित यौरे हो :--

- i., रपोट कए गए और निपटाई गई आंशिक निकासिय (अंशदाता का 25 तिशत अभिदाय) क" संय या ;
- ii., रपोट कए गए निकासी दाव क" संय या ;
- iii. वीकृत और निपटाए गए दाव क" संय या ;
- iv. N येक वष 31 माच क" तिथि के अनुसार बकाया दाव क" संय या ; और
- v. वाजक" सेवा दाता और अंशदाता द्वारा विक प ली गई वाजक" क"म के सम टी तर पर यौरे ।

घ. रा. टीय पशन क"म और अधिनयम के अधीन अ. य पशन क"म के अधीन अंशदाता के हित के संरण के लिए हाथ में लिए गए कायकलाप के यौरे ;

ड. अंशदाता क" शिकायत के निपटान के लिए तं और ऐसी शिकायत के निपटान के लिए हाथ में लिए गए कायकलाप ;

च. पशन णाली से जुड़े 5 ए न यावसायिक संगठन के यौरे ;

छ. अधिकारण और मा. यवजतय द्वारा संजित आंकड़ के यौरे, जिसके अंतर्गत आ. ययन, अनुसंधान और प, रयोजनाएं हाथ में लेना और चालू करना है ;

ज. पशन, सेवा निवृत्त बचत और संबंधित मु. के संबंध में मु. पर अंशदाता और साधारण पि. लक को शिः करने के लिए उठाए गए कदम और मा. यवजतय के शिः के यौरे ;

झ. पशन निधय के कायकरण के विषय में सूचना और कायकरण ब. चमाक ;

ञ. विनियमित आ. तय के यौरे ;

ट. वि. त वष के दौरान अधिकारण द्वारा उदगृहीत या संजित फ"स और अ. य भार ;

ठ. ई. सत सूचना, कए गए निरीःण, संचालित अ. वेषण और हाथ में ली गई जांच, जिसके अंतर्गत पशन निधय से संबंधित मा. यवजतय और अ. य निकाय या संगठन क" लेखा परी. है ;

ड. निम्नलिखित के यौरे :-

- i. रा. टीय पशन णाली और अधिनयम के अधीन अ. य पशन क"म के अधीन कवर कए गए अंशदाता (वगैरे) ;
- ii. उपिथित के बि. दु ;
- iii. बंधन के अधीन आ. तय, क"मवार ;
- iv. कीय अभिलेख रखने वाला अभिकरण, उसक" भूमिका और कृ. य ;
- v. पशन निधय ;

vi.D यासी ब०क ;

vii.राH Tीय पशन णाली के अधीन अभरःक ;

viii.राH Tीय पशन णाली D यास ; और

ix.संकलक आद सिंहत, अD य मा यवतर ।

ढ.पशन के ःे> म ाधिकरण ०ारा कए जाने वालेअD य कृN य ।

भाग 4

(क)पशन सलाहकार सिमित के कृN य ;

(ख)धारा 49 क" उपधारा (2) के अधीन ग,ठत िविभD न सिमितय3 का काय8करण ;

(ग)बनाए गए या संशोिधत िविनयम ;

(घ)अD य काय8कलाप, िजनका राH Tीय पशन णाली और अधिनयम के अधीन अD य पशन क"म3 पर भाव है।

¹Hkkx IIµ[k.M 3(i)^०

Hkkjr dk jkti=k % vlk/kj.k

7

पशन िनिध िविनयामक और िवकास ाधिकरण के संगठनाN मक िवषय ।

भाग 6

कोई अD य महN वपूण8 ःे>, जो अंशदाताg के िहत को ितकूल िप से भािवत कर रहा है

।

भाग 7

ाधिकरण ०ारा राH Tीय पशन णाली और अधिनयम के अधीन अD य पशन क"म3के अंशदाताg के िहत के संरःण के िलए कया गया कोई अD य उपाय ।

[फा.सं. 11/7/2014-

पीआर]

डा. शशांक सह सेना, आJथक

सलाहकार

MINISTRY OF FINANCE
(Department of Financial Services)
NOTIFICATION

New Delhi, the 17th August, 2015

G.S.R. 635 (E). —In exercise of the powers conferred by sub-section (2), of section 46 read with sub-section (1) and clause (i) of sub-section (2) of section 51 of the Pension Fund Regulatory and Development Authority Act, 2013 (23 of 2013), the Central Government hereby makes the following rules, namely:-

1. Short title and commencement.Ñ (1) These rules may be called the Pension Fund Regulatory and Development Authority (Reports, Returns and Statements) Rules, 2015.

2. Definitions.-(1)ÑIn these rules, unless the context otherwise requires,-

(a) "Act" means the Pension Fund Regulatory and Development Authority Act, 2013;

(b) "Appendix" means Appendix annexed to these rules;

(c) "annual report" means the report prepared by the authority under rule 9;

(d) "financial agency" or "financial agencies" means the Reserve Bank of India established under section 3 of the Reserve Bank of India Act, 1934 (2 of 1934), the Securities and Exchange Board of India established under section 3 of the Securities and Exchange Board of India Act, 1992 (15 of 1992) and the Insurance Regulatory and Development Authority established under section 3 of the Insurance Regulatory and Development Authority Act, 1999 (41 of 1999). (e)

"Financial Year" means the period beginning from the 1st day of April each year to 31st day of March of the succeeding year;

(f) "other agencies" means the national and international agencies such as the International Monetary Fund (IMF), the World Bank, the Asian Development Bank (ADB) and Industry Associations such as Federation of Indian Chamber of Commerce and Industry (FICCI), Associated Chambers of Commerce of India (ASSOCHAM), Confederation of Indian Industries (CII), etc; and

(g) "section" means a section of the Act.

(2) All other words and expressions used in these rules but not defined and defined in the Act shall have the same meanings respectively assigned to them in the Act.

3. Furnishing of quarterly returns and statements. :-The Authority shall furnish quarterly, to the Central Government, returns and statements on the matters specified in Appendix-I.

4. Programme for co-ordination with financial agencies and other agencies.— (1) The Authority may, where it considers necessary, coordinate with the financial agencies *and other agencies*, including entering into memorandum of understanding with such agencies, for the purpose of promoting old age income security and to protect the interests of the subscribers to schemes of pension funds, promotion and development of the pension industry and for carrying out the provisions of the Act.

(2) The memorandum of understanding referred to in sub-rule (1) may provide for all or any of the following matters, namely:—

(a) co-operation and co-ordination with the financial agencies and other agencies in harmonising the regulations governing similar matters within the ambit of the laws governing the said agencies and under the Act; (b) sharing of information with the financial agencies and other agencies on similar matters and particularly in the area of promotion and development of pension industry.

(c) exchange and training programmes for employees of the Authority and that of the financial agencies or other agencies:

Provided that any memorandum of understanding with the international agencies shall be undertaken with the prior approval of the Central Government.

(3) The Authority shall prepare every year, a report on the programmes and activities undertaken by it in co-ordination with the financial agencies and other agencies for the purposes referred to in sub-rule (1).

(4) The report prepared by the Authority under sub-rule (3) shall form part of the annual report.

5. Publication of information and maintenance of records.— (1) The Authority shall maintain a website or any other universally accessible repository of electronic information containing --

(a) details of all rules, regulations, orders, including amendments thereof;
(b) information about the process and manner in which applications under this Act are to be made;
and (c) material information about the functions of the Authority.

(2) All information published under sub-rule (1) shall be made available in an easily accessible and text - searchable format.

(3) The Authority shall update its website at regular intervals and review, at least once every year, the quality of the website and the information specified under sub-rule (1), keeping in view the international best practices.

(4) The Authority shall prepare a report on the findings of the review undertaken by it under sub-rule (3) and report on such review shall form part of its annual report.

6. Report on expenditure of Authority.— (1) The Authority shall maintain a transparent system of allocation of its resources for the purposes of carrying out its duties and functions under the Act.

(2) The Authority shall prepare a report of the expenditure incurred by it during the year in respect of its duties and functions under the Act.

(3) The Authority shall review, at least once in every two years, its resources and report the outcome of such review to the Central Government.

(4) The report referred to in sub-rule (2) shall form part of the annual report.

7. Performance evaluation system. – (1) The Authority shall determine the goals to be achieved by it relating to its duties and functions under the Act and develop a system to measure and evaluate its efficiency in achieving such goals.

¹Hkkx IIµ[k.M 3(i)°

Hkkjr dk jkti=k % vlk/kj.k

9

(2) The Authority shall, for each financial year, prepare a report on its performance, based on the evaluation carried out by it under sub-rule (1).

(3) The report prepared under sub-rule (2) shall form part of the annual report.

8. Submission of other reports.—(1) without prejudice to rules 3, 4, 5, 6 or rule 7, the Authority shall make a report on the following matters either *suo moto* or on the basis of report of a committee, if any, constituted by it in

respect of following matters, namely:--

- (a) every case of violation of this Act or of any rule or regulation made thereunder;
- (b) the extent to which the decisions of the Authority have been complied with;
- (c) the extent to and the manner in which Authority managed various risks while discharging its functions;
- (d) theft or misappropriation of resources of the Authority by any person;
- (e) abuse of powers of the Authority by its Chairperson, members or by any of its officers, employees or agents;
- (f) violation of any decision of the Authority by any of its officers, employees or agents;
- (g) such other returns, statements or particulars in regard to any proposed or existing programme for

the promotion and development of the pension industry, as the Central Government may, from time to time, require. (2) The Authority shall make a report on the matters specified in sub-rule (1), at least once in every financial year, and such report shall form part of the annual report.

9. Submission of annual report.— (1) The Authority shall, within nine months after the close of each financial year, submit to the Central Government a report (herein referred to as “annual report”) giving a true and full account of its activities including the activities for promotion and development of schemes of pension funds regulated under the Act during the previous financial year, in the form specified in Appendix-II

(2) The report referred to in sub-rule (1) may include the following, namely:—

- (a) the audit report and its certified accounts along with the observations of the Authority thereon;
- (b) statement of deliberations of the Authority, accompanied by the records of its meetings;
- (c) statement of corporate and operational goals and objectives;
- (d) annual targets in physical and financial terms set for various activities together with a brief review of actual performance with reference to those targets;
- (e) statement by Chairperson in relation to the activities and performance of the Authority;
- (f) account of the activities of the Authority during the previous year which are likely to be taken up during the current year;
- (g) statement which any member of the Authority may wish to include;
- (h) changes in the organisational set up of the Authority;
- (i) employer-employees relations and welfare activities relating thereto;
- (j) statement indicating any statutory obligations that the Authority has not complied with, and reasons for such non-compliance;
- (k) such other matters as may be deemed fit by the Authority for reporting to the Central Government.

(3) The annual report shall, after due adoption at a meeting of the Authority, be signed by each member of the Authority and authenticated by affixing the common seal of the Authority and the requisite number of copies thereof shall be submitted to the Central Government within the time specified under sub-rule (1).

APPENDIX I**[See rule 3]****QUARTERLY RETURNS, STATEMENTS AND OTHER PARTICULARS**

1. Direction issued by the Authority under section 15.
2. Investigation ordered by the Authority under section 16.
3. Number of complaints received from subscribers and redressed.
4. Penalties imposed under Section 28.
5. Any critical area adversely affecting the subscribers under the Act.
6. Details of the National Pension System and other pension schemes covered under the Act including intermediaries and other entities associated therewith and performance of such systems and schemes;
7. Details of costs and fees paid by the subscribers under the National Pension System for the service offered by the intermediaries;

APPENDIX II**[See rule 9 (1)]****Form of Annual Report****PART I****Policies and programmes:**

- (a) Review of the general economic environment and the performance of financial markets.
- (b) Review of policies and programmes having a bearing on the working of the National Pension System and other pension schemes covered under the Act, having regard to -
 - (i) performance of Pension Sector in India and other countries
 - (ii) intermediaries and other entities associated with National Pension System and other pension schemes covered under the Act;
 - (iii) other policies and programmes having a bearing on the working of the National Pension System and other pension schemes covered under the Act; and
 - (iv) assessment and prospects in other related areas in pension sector.

PART II

The extent of exposure in the National Pension System and other pension schemes covered under the Act, in different categories of investments including Government securities, debt securities and equities.

PART III

Functions of the Authority in respect of matters specified in section 14 including –

- a. details regarding registration of intermediaries and suspension, cancellation, etc., of such registration; and regulation of activities of the intermediaries associated with the National Pension System or the pension schemes;
- b. details of approval of schemes, the terms and conditions thereof including norms for the management of corpus of the pension funds and investment guidelines under such schemes;
- c. exit of subscribers from the National Pension System including the following details:-
 - (i) number of partial withdrawals (25% of contribution of subscriber) reported and settled;
 - (ii) number of withdrawal claims reported;
 - (iii) number of claims accepted and settled;
 - (iv) number of claims outstanding as on 31st March of each year; and
 - (v) macro level details about Annuity Service Providers and annuity schemes opted by the subscriber.
- d. details of activities undertaken for protection of interests of subscribers under the National Pension System and of other pension schemes under the Act;
- e. mechanism for redressal of grievances of subscribers and activities undertaken for redressal of such grievances;

¹Hkkx Iµ[k.M 3(i)°

Hkkjr dk jkti=k % vlk/kj.k

11

- f. details of professional organisations connected with the pension system;
- g. details of collection of data by the Authority and the intermediaries including undertaking and

- commissioning of studies, research and projects;
- h. steps undertaken for educating subscribers and the general public on issues relating to pension, retirement savings and related issues and details of training of intermediaries;
- i. information about performance of pension funds and performance benchmarks;
- j. details of regulated assets;
- k. fees and other charges levied or collected by the Authority during the financial year;
- l. details of information sought for, inspections undertaken, inquiries conducted and investigations undertaken including audit of intermediaries and other entities or organisations connected with pension funds
- m. details of the following:-
- i. subscribers (category wise) covered under the National Pension System and other pension schemes under the Act;
 - ii. points of presence;
 - iii. assets under management, scheme wise;
 - iv. the central recordkeeping agency, its role and functions;
 - v. pension funds;
 - vi. the Trustee Bank;
 - vii. the Custodian under the National Pension System;
 - viii. the National Pension System Trust; and
 - ix. other intermediaries including the Aggregator, etc.
- n. other functions carried out by the Authority in the area of pensions.

PAR

T IV

- a) functioning of Pension Advisory Committee;
- b) performance of various committees set up under sub-section (2) of section 49;
- c) regulations made or amended;
- d) other activities having a bearing on the National Pension System and other pension schemes under the Act.

PART V

Organisational matters of the Pension Fund Regulatory and Development Authority.

PAR

T VI Any critical area adversely affecting the interest of subscribers.

PART VII

Any other measure taken by the Authority to protect the interest of subscribers to the National Pension System and other pension schemes under the Act.

[F. No.]

11/7/2014-PR]

Dr. SHASHANK SAKSENA, Economic
Advisor

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-
110064 and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.